दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

पत्रांक ..../प0गो0/2015 दिनांक : 22-01-2015

परीक्षा समिति की बैठक दिनाँक 22/01/2015 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1. प्रो0 अशोक कुमार, कुलपति	अध्यक्ष
2. प्रो0 सुरेन्द्र दूबे, अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
3. प्रो0 पी0सी0 शुक्ला, अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
4. डॉ0 महेश्वर सिंह, अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
5. प्रो0 अंजनी कुमार सिंह, दर्शनशास्त्र विभाग	सदस्य
6. डॉ0 मालविका श्रीवास्तव, वनस्पति विज्ञान विभाग	सदस्य
7. डॉ0 कमलेश गौतम, प्रा0 इतिहास विभाग	सदस्य
8. डॉ0 रमेश बाबू सोलंकी, प्राचार्य, किसान पी0जी0 कालेज, सेवरही	सदस्य
9. डॉ0 सी0एस0 मिश्र, एल0बी0एस0 डिग्री कालेज, आनंद नगर, महराजगंज	सदस्य
10. डॉ0 वेद प्रकाश मिश्र, सेंट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर	सदस्य
11. डॉ0 राजेश कुमार मिश्र, अध्यक्ष, महावि0 शिक्षक संघ	सदस्य
12. श्री अशोक कुमार अरविन्द, कुलसचिव	सदस्य
13. श्री अखिलेश कुमार पाल, परीक्षा नियंत्रक	सचिव

कार्यवृत्त :--

1. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 30/09/2014, 09/10/14 एवम् 05/11/14, 22/11/2014 की सम्पुष्टि पर विचार।

   निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 30/09/2014, 09/10/14 एवम् 05/11/14, 22/11/2014 की सम्पुष्टि की।

2. गौस मोहम्मद, पुत्र--श्री अबुल हसनाव कुरैशी, वर्ष--1991, बी0कॉम0 भाग तीन, अनु0--35500 विश्वविद्यालय परिसर यह प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक--04/12/2014 में रखा गया था। जिसमें समिति ने इस प्रकरण की जांच हेतु एक त्रिस्तरीय समिति बनाई थी, समिति ने अपने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि "अभिलेख कक्ष की सारणीयन पंजिका तथा विभाग की सारणीयन पंजिका अवलोकन किया जिसमें अनु0--35500 गौस मोहम्मद, पुत्र--श्री अबुल हसनाव कुरैशी के समान विषयों में समान अंक पाये गये। प्रश्नपत्रवार प्रश्नपत्र में कोई अंतर अथवा कटिंग नहीं पाया गया। अभिलेख कक्ष की सारणीयन पंजिका में वर्ग द के अंको के योग में त्रुटि के बाद कटिंग कर योग सुधारा गया है। दोनों सारणीयन पंजिका के अंतिम कॉलम 35 (पैंतिस) अन्य विवरण में INC दर्ज है अतः ऐसा प्रतीत होता है कि परीक्षाफल अपूर्ण होने के कारण अघोषित रहा। गौस मोहम्मद के प्रकरण पर विचार--जांच समिति की रिपोर्ट संलग्न है।

   निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षाफल पूर्ण कर अंकतालिका निर्गत कर दी जाय।

3. वर्ष--2012--13 की बी0एड0 पाठ्यक्रम मे अभ्यर्थियों की छूटी प्रायोगिक परीक्षा कराये जाने का प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 30/09/14 के बिन्दु संख्या 11 पर रखा गया था। समिति ने निर्णय लिया कि कार्यपरिषद के कार्यवृत्त के साथ अगली बैठक में रखा जाय। पुनः यह प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 05/11/14 के बिन्दु संख्या 8 पर रखा गया था। जिसमें समिति ने निर्णय लिया कि कार्यपरिषद की कार्यसूची के सम्बन्धित पत्रावली के साथ आगामी बैठक में सम्पूर्ण तथ्यों के साथ रखा जाय, पर विचार।

   निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अध्यादेश में बी0एड0 छूटी प्रायोगिक परीक्षा कराने का प्राविधान नहीं है। अतः प्रस्ताव अस्वीकृत।

प्रो0 संदीप कुमार, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग के प्रस्ताव/संस्तुति, छात्रा आराधना पाण्डेय के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में वाणिज्य संकाय के वाणिज्य विभाग तथा कला संकाय के विभागों में परीक्षाफल तैयार किया जाता है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र विषय में भी न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित करने के लिए सभी प्रश्नपत्रों (सांख्यिकी सहित) के कुल योग का 36 प्रतिशत लिया जाना चाहिए का प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 05/11/14 अध्यक्ष की अनुमति से बिन्दु V रखा गया था। इस प्रकरण पर समिति ने निर्णय लिया कि इस प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जाय, पर विचार।

अपेक्षा नोट--दिनांक 26/11/214 को अधिष्ठाताओं की बैठक में इस प्रकरण पर विचार हुआ और [illegible] निर्णय लिया कि सिद्धान्त के प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंकों तथा मौखिकी में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर परीक्षाफल घोषित किया जाय, तद्नुसार मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार परीक्षाफल घोषित किया जा चुका है।

निर्णय--समिति सर्वसम्मति से कार्यवाही से अवगत हुई।

5. [illegible] थापा, बी0कॉम0 I,II,III वर्ष--2011, 2012, 2013 के पिता का नाम अरूण कुमार के स्थान पर [illegible] कुमार थापा के नाम का संशोधन करने का प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 12/06/14 के बिन्दु संख्या 9 पर रखा गया था। जिसमें समिति ने हाईस्कूल अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र तथा जन्मतिथि का प्रमाणपत्र मांगा था। मांगे गये प्रपत्र प्राप्त हो गये हैं, प्राप्त पत्रों पर विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि नाम का संशोधन कर दिया जाय।

6. कु0 रेनू शाही अनु0--7680010141, विधि भाग दो, तृतीय सेमेस्टर नौवां प्रश्नपत्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन केन्द्राध्यक्ष द्वारा उत्तर पुस्तिका पर कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर न होने के कारण बिना मूल्यांकन वापस कर दी गई है। यह प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 05/11/2014 के बिन्दु संख्या 7 पर रखा गया था। समिति ने निर्णय लिया कि P 7 से परीक्षार्थी की उपस्थिति सत्यापित होने के उपरान्त निर्णय लिया जाय P 7 की सत्यापित प्रति उपलब्ध हो गयी है। उपलब्ध P 7 पर विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करा लिया जाय।

7. अरूणेश मिश्र, पुत्र--श्री जय प्रकाश मिश्र, अनु0--7530010003, एम0ए0 द्वितीय सेमेस्टर, गणित विषय, वर्ष--2013--14 की छूटी प्रायोगिक परीक्षा कराये जाने पर विचार। अध्यादेश संलग्न है।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अध्यादेश में प्राविधान न होने के कारण प्रस्ताव अस्वीकृत।

8. परीक्षा समिति की बैठक, दिनांक 20/09/14 में अध्यक्ष की अनुमति से बिन्दु 1 पर भूगोल विषय से बी0ए0 भाग एक के प्रथम प्रश्नपत्र की वार्षिक परीक्षा में बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र होंगे का निर्णय लिया जा चुका है इस निर्णय के संदर्भ में प्रो0 नूतन त्यागी, अध्यक्ष, भूगोल विभाग का पत्र प्राप्त हुआ है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र में भूगोल विषय को हटाये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विभागाध्यक्ष के पत्र का संज्ञान लेते हुए भूगोल विषय में वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र नहीं होगा गत वर्ष की भांति परीक्षा करायी जाय।

9. प्राचार्य, पैसिफिक कालेज आफ फिजियोथेरेपी, गोरखपुर ने अपने पत्र दिनांक 20/09/2014 के द्वारा "कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30/08/14 के बिन्दु संख्या छः (III) के आधार पर जो छात्र दो से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण हैं, उनके प्रकरण को परीक्षा समिति छात्र हित में उनका निस्तारण करेगी" इस सम्बन्ध में महाविद्यालय ने बी0एस--सी0 (पैथालोजी) के 08 छात्रों की सूची तथा बी0पी0टी0 के 5 छात्रों की भेजी है जो दो से ज्यादा विषयों में परीक्षा दी है। इसी सम्बन्ध में उन्होंने सबंधित छात्रों के परीक्षाफल को घोषित करने की मांग की है, परीक्षाफल घोषित करने के सम्बन्ध में विचार।

अपेक्षा नोट--पैसिफिक कालेज, गोरखपुर के परीक्षाफल के सम्बन्ध में सूचना निम्नवत है :--

1--अमित कुमार पाण्डेय--अनुक्रमांक--4128735002, पैथालोजी, प्रथम वर्ष परीक्षा 2011, संस्थागत 4 विषय में अनुत्तीर्ण तथा सम्पूर्ण योग बैक में 397/800 टोटल में अनुत्तीर्ण।

2--[illegible] आर्या--अनुक्रमांक 5128735008 पैथोलोजी प्रथम वर्ष--2012 संस्थागत 4 विषय में अनुत्तीर्ण तथा टोटल में 311/800 अनुत्तीर्ण।

3--[illegible]शंकर गुप्त, अनुक्रमांक 4123135015, पैथालोजी प्रथम वर्ष--2011, संस्थागत 3 विषय में अनुत्तीर्ण तथा पुनः 2011 बैक में टोटल 388/800 में भी अनुत्तीर्ण।

4--[illegible] यादव, अनु0--5128735014 पैथालोजी प्रथम वर्ष--2012 संस्थागत 3 विषय में अनुत्तीर्ण तथा टोटल में 337/800।

5--[illegible] कुमार गौतम अनु0--5128735019, पैथालोजी प्रथम वर्ष--2012, संस्थागत, 3 विषय में अनुत्तीर्ण तथा टोटल में 322/800।

6--[illegible] तिवारी, अनु0--5128735022, पैथालोजी प्रथम वर्ष--2012 संस्थागत 5 विषय में अनुत्तीर्ण तथा [illegible] योग 303/800।

7--[illegible] कुमार यादव अनु0--5128735025, पैथालोजी प्रथम वर्ष--2012, संस्थागत, 6 विषय में अनुत्तीर्ण तथा टोटल में 318/800।

8--[illegible]शंकर गुप्त, अनु0--5142735015, पैथालोजी द्वितीय वर्ष--2012 संस्थागत, 3 विषय में अनुत्तीर्ण तथा टोटल में 412/900। (नोट--क्रम सं0 3 पर भी प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण हैं)।

9- [illegible] दत्त, अनु0--5118735003, P.B.T. प्रथम वर्ष--2012 संस्थागत 4 विषय में अनुत्तीर्ण तथा [illegible] 260 / 700 ।

10- राहुल यादव, अनु0--4118735015, P.B.T. प्रथम वर्ष--2011 संस्थागत 3 विषय में अनुत्तीर्ण तथा [illegible] एक विषय में अनुत्तीर्ण तथा टोटल 337 / 700 में भी अनुत्तीर्ण।

11- सीमा भारती, अनु0--5118735018, P.B.T. प्रथम वर्ष--2012 संस्थागत 3 विषय में अनुत्तीर्ण टोटल 328 / 700 ।

12- सूरज कुमार यादव, अनु0--5118735013 P.B.T. प्रथम वर्ष--2012 संस्थागत 3 विषय में अनुत्तीर्ण टोटल 279 / 700 ।

13- राहुल यादव, अनु0--5127735014 P.B.T. द्वितीय वर्ष--2012 संस्थागत 4 विषय में अनुत्तीर्ण टोटल 296 / 700 । श्री राहुल यादव क्रम सं0 10 पर P.B.T. प्रथम वर्ष में भी अनुत्तीर्ण हैं।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अध्यादेश के नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

10. दशरथ पाण्डेय, पुत्र--श्री त्रिलोकी नाथ पाण्डेय, बी0ए0 भाग तीन, वर्ष--2011 व्यक्तिगत चयनित विषय--हिन्दी, प्राचीन इतिहास, शिक्षा शास्त्र, केन्द्र--उमा माहेश्वर महाविद्यालय, भोगीपुर, संत कबीर नगर का नाम, विषय, अनुक्रमांक सारणीयन पंजिका में अंकित न होने के करण परीक्षाफल घोषित नही हुआ है। छात्र का नाम विषय, अनुक्रमांक सारणीयन पंजिका में अंकित कर परीक्षाफल घोषित करने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पी--7 की मूल प्रति मंगाया जाय।

11. अमित कुमार शर्मा, पुत्र--श्री सुग्रीव शर्मा, अनु0--6629001007, एम0ए0 प्रथम सेमेस्टर, मध्यकालीन इतिहास की परीक्षा वर्ष--2013 में संस्थागत के रूप में दिया है किन्तु द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा फार्म में त्रुटिवश संस्थागत की जगह व्यक्तिगत (भूतपूर्व) भर दिया है। जिसके कारण परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ है। व्यक्तिगत (भूतपूर्व) से संस्थागत (रेगुलर) में छात्र का नाम स्थानांतरित करने पर विचार। यह प्रकरण परीक्षा समिति के प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है; परीक्षा समिति के सूचनार्थ प्रस्तुत।

एजेण्डा नोट--विभागाध्यक्ष द्वारा दी गई आख्या निम्नवत है--अमित कुमार शर्मा, पुत्र--श्री सुग्रीव शर्मा एम0ए0 प्रथम वर्ष (प्रथम सेमेस्टर) इतिहास सत्र--2013 में 117 (एक सौ सत्रह) अंक प्राप्त किए हैं तथा एम0ए0 प्रथम वर्ष (द्वितीय सेमेस्टर) इतिहास सत्र--2014 में भूतपूर्व अभ्यर्थी के रूप में अनु0--6629001007 पर परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। तथा इनका शुल्क चालान की छायाप्रति संलग्न है।

निर्णय--समिति सर्वसम्मति से कार्यवाही से अवगत हुई।

12. बृजेन्द्र कुमार यादव, पुत्र--श्री रविन्द्र नाथ यादव, बी0कॉम0 भाग एक, अनु0--4034040023, वर्ष--2011, बी0कॉम0 भाग दो अनु0--5084040034, वर्ष--2012, बी0कॉम0 भाग तीन, अनु0--6134040034, वर्ष--2013 की अंकतालिका पर नाम अंकित है। छात्र ने प्राचार्य के माध्यम से ऑनलाइन की त्रुटि बताते हुए बृजेन्द्र कुमार यादव, पुत्र--रविन्द्र नाथ यादव के स्थान पर बृजेन्द्र कुमार पाण्डेय, पुत्र--श्री रविन्द्र नाथ पाण्डेय के नाम का संशोधन करने की मांग की है, नाम संशोधन पर विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि नाम का संशोधन कर दिया जाय।

13. अभिषेक कुमार, पुत्र--अच्छेलाल, बी0ए0 भाग तीन, अनु0--4117280397, वर्ष--2011 एवं परमात्मा पुत्र--श्री रामसुख बी0ए0 भाग तीन अनु0--4117280398 वर्ष--2011, व्यक्तिगत छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हैं महाविद्यालय द्वारा शुल्क जमा है तथा पी--7 पर उपस्थिति अंकित है, नामिनल रोल में भी नाम, अनुक्रमांक, विषय अंकित हैं किन्तु सारणीयन पंजिका में अनुक्रमांक, नाम, विषय अंकित न होने के कारण परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ, अनुक्रमांक, नाम, विषय अंकित कर परीक्षाफल घोषित करने पर विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पी--7 की मूल प्रति मंगाया जाय।

14. लघु शोध प्रबन्ध जमा करने की अंतिम तिथि का निर्धारण करने पर विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सम्बन्धित विषय के अंतिम प्रश्नपत्र की परीक्षा से पन्द्रह दिन के अंदर लघु शोध जमा कराया जाय तदनुसार वर्ष--2014 की स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षा में अंतिम वर्ष में लघुशोध जमा कराने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2015 निर्धारित की जाती है; सभी सम्बन्धित को सूचित कर दिया जाय।

15. प्राचार्य, उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पडरौना, कुशीनगर ने अपने पत्र दिनांक--29 / 09 / 2014 एवं 15 / 10 / 2014 द्वारा 10 अभ्यर्थियों का योग बी0ए0 भाग एक, दो की परीक्षा की प्रायोगिक विषयों [illegible] उत्तीर्ण कर बी0ए0 भाग तीन की परीक्षा वर्ष--2014 में दिया है और उनका W लगा कर परीक्षाफल रोक दिया

गया है, प्रवेश समिति के निर्णय दिनांक 15/04/2013 के बिन्दु 1 के अनुसार दो प्रायोगिक विषयों की परीक्षा कराना सम्भव नहीं है कार्यालय की आख्या एवं प्राचार्य के पत्र दिनांक--29/09/14 एवं 15/10/14 पर विचार।

निर्णय-समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि दो प्रायोगिक विषयों में प्रवेश होने के कारण यह प्रकरण प्रवेश समिति को संदर्भित।

16. आशीष कुमार पुत्र--श्री दिनेश सिंह बी0ए0 भाग एक, अनु0--7017530973, विषय--इतिहास, शिक्षाशास्त्र, शारीरिक शिक्षा है। छात्र द्वारा उत्तर पुस्तिका पर इतिहास I लिखा गया है और संकेतांक 36... के उत्तर पुस्तिका एजेन्सी द्वारा यू0एफ0एम0 को प्रेषित की गई है रसायनशास्त्र तथा इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष को मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिका प्रेषित की गयी थी। किन्तु मूल्यांकन न करके प्रकरण को गम्भीर बताते हुए परीक्षा समिति को सन्दर्भित की गयी है इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा परीक्षा समिति को संदर्भित प्रकरण पर विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष को पुनः मूल्यांकन हेतु भेजा जाय।

17. ज्योति कुशवाहा, पुत्री--हरिलाल कुशवाहा एम0ए0।। शिक्षाशास्त्र द्वितीय सेमेस्टर, अनु0--764...1049 वर्ष--2014 को भूतपूर्व से संस्थागत छात्रा के रूप में परीक्षाफल घोषित करने पर विचार।

नोट--प्रकरण पर परीक्षा समिति के प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। परीक्षा समिति के सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय--समिति सर्वसम्मति से कार्यवाही से अवगत हुई।

18. मंजूलता, पुत्री--हरिकेश प्रसाद, एम0ए0।।, अर्थशास्त्र, वर्ष--2014 अनु0--6631001030 को भूतपूर्व से संस्थागत छात्रा के रूप में वर्ष--2014 का अनुक्रमांक अनुदानित करते हुए परीक्षाफल घोषित करने पर विचार।

नोट--प्रकरण पर परीक्षा समिति के प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। परीक्षा समिति के सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय--समिति सर्वसम्मति से कार्यवाही से अवगत हुई।

19. अंकित कुमार पाण्डेय, पुत्र--अशोक कुमार पाण्डेय, एम0ए0।।, अंग्रेजी, द्वितीय सेमेस्टर, अनु0--663..01013 को भूतपूर्व से संस्थागत छात्रा के रूप में वर्ष--2014 का अनुक्रमांक अनुदानित करते हुए परीक्षाफल घोषित करने पर विचार।

नोट--प्रकरण पर परीक्षा समिति के प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। परीक्षा समिति के सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय--समिति सर्वसम्मति से कार्यवाही से अवगत हुई।

20. पैसिफिक कालेज ऑफ फिजियोथेरेपी, गोरखपुर के बी0एस--सी0 पैथालॉजी (एम0एल0टी0) तथा फिजियोथेरेपी (बी0पी0टी0) परीक्षाफल के मार्कशीट/सर्टिफिकेट एवं सारणीयन पंजिका में डिवीजन अंकित करने पर विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अब तक जो अंकतालिका/सर्टिफिकेट निर्गत है उनको उत्तीर्ण माना जाय और वर्ष 2014--15 से अध्यादेश के अनुसार कार्यवाही की जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार।

1. जनार्दन प्रसाद पुत्र--श्री राम बेलास, जिला उपभोक्ता विवाद परितोष फोरम, देवरिया के आदेश परिवाद संख्या 294/2007 दिनांक--05/07/2014 के अनुपालन के सम्बन्ध में जो सत्र 2006 बी0एस--सी0 भाग ... अनुक्रमांक--113613 के अंकसुधार परीक्षा कराने के संबंध में है, पर विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अध्यादेश में परीक्षाफल घोषित होने के अगले वर्ष अंकसुधार परीक्षा कराने का प्राविधान है जबकि यह प्रकरण 2006 का है। अतः परीक्षा कराना सम्भव नहीं का निर्णय लिया गया।

2. बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर के पत्र दिनांक--05/12/14 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 62518/14 दिनांक--21/11/14 के अनुपालन में श्रीमती मंदाकिनी के बी0ए0 के शैक्षिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन के सम्बन्ध में विचार।

एजेण्डा बिन्दु-- 1. परीक्षा सामान्य कार्यालय की आख्या है कि श्रीमती मंदाकिनी चौहान, पुत्री--नगीना चौहान बी0ए0 भाग एक की परीक्षा अनुक्रमांक--222989 से वर्ष--2007 में संस्थागत छात्रा के रूप में दी है और 2..3/600 अंक पा कर उत्तीर्ण है तथा बी0ए0 भाग दो की परीक्षा अनुक्रमांक--1093060475 से वर्ष--2008 में

...क्तिगत छात्रा के रूप में दी है और परीक्षाफल W है; बी0ए0 भाग तीन की परीक्षा अनुक्रमांक--21... वर्ष-2009 में व्यक्तिगत छात्रा के रूप में दी है, कुल अंक 666/1800 प्राप्त कर तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण है। ... कम्प्यूटर विभाग के अनुसार छात्रा का बी0ए0 भाग प्रथम वर्ष--2007 एवं बी0ए0 द्वितीय वर्ष 2008 का परीक्षाफल व्यक्तिगत रूप में उत्तीर्ण है।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि कु0 मंदाकिनी के बी0ए0 प्रथम वर्ष एवं बी0ए0 द्वितीय वर्ष के परीक्षाफलों को व्यक्तिगत मानते हुए बी0ए0 भाग दो में लगे W को काट कर सारणीयन पंजिका में संशोधन कर लिया जाय एवं सत्यापन का पत्र निर्गत कर दिया जाय।

3. विश्वविद्यालय परीक्षा 2014 में महाविद्यालय कोड 763 वीर अब्दुल हमीद स्मारक महाविद्यालय, ... आंगना, गोरखपुर के सम्बन्ध में सामूहिक नकल के सम्बन्ध में आख्या एवं महाविद्यालय के प्रत्यावेदन पर विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि समिति द्वारा उक्त महाविद्यालय के बी0ए0 भाग ... द्वितीय प्रश्नपत्र के सम्बन्ध में सामूहिक नकल निस्तारण समिति की संस्तुति को स्वीकार किया जाय तथा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 05/11/2014 में लिये गये निर्णयानुसार अंकों की कटौती पर सम्बन्धित परीक्षाफल घोषित किया जाय।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि-- निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1. समस्त सम्मानित सदस्य गण।
2. सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. कुलसचिव।
4. वि0अ0 कुलसचिव।
5. उप कुलसचिव, परीक्षा।
6. सम्पत्ति अधिकारी।

परीक्षा नियंत्रक